उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–1
संख्या:–   /10 (150) XXVII(1)/2017
देहरादून: दिनांक:31 जुलाई, 2017

अधिसूचना

''सूचना का अधिकार अधिनियम'' 2005 की धारा 5 (1) व धारा 19 में प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल लोक प्राधिकारी ईकाई वित्त आयोग निदेशालय के सम्मुख अंकित सहायक लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलेंट अधिकारियों को ''सूचना का अधिकार अधिनियम'', 2005 में निर्दिष्ट कार्यों हेतु सहायक लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलेंट अधिकारियों के रूप में अधिसूचित/नामित किये जाने की सहर्ष प्रदान करते हैं :–

क्र0 सं0	लोक प्राधिकारी इकाई	सहायक लोक सूचना अधिकारी	लोक सूचना अधिकारी	अपीलेंट अधिकारी
1–	वित्त आयोग निदेशालय	शोध अधिकारी	वरिष्ठ शोध अधिकारी	अपर सचिव/अपर निदेशक

प्रतिबन्ध यह है कि सहायक लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलेंट अधिकारी के रूप में नामित किसी अधिकारी के अवकाश पर रहने या पद रिक्त होने की स्थिति में उनके समकक्ष अधिकारी/पद का प्रभार निवर्हन करने वाले अधिकारी को अधिनियम के प्रयोजन के लिए सहायक लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलेंट अधिकारी माना जायेगा।

उपर्युक्त नामित किये गये सहायक लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलेंट अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में उल्लिखित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन के लिये पूर्णरूप से जिम्मेदार होंगे एवं इस कार्य हेतु उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन, भत्ते आदि देय नहीं होंगे।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त।

संख्या:–726/10 (150) XXVII(1)/2017, तद्दिनांकित :–
प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, सामान्य प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन।
3– निदेशक/अपर निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
4– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5– गार्ड फाईल।
6– उपरोक्त समस्त नामित अधिकारी।

आज्ञा से,

(श्रीधर बाबू अद्दांकी)
अपर सचिव, वित्त।